

UPAD010116412018



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट) प्रयागराज।

उपस्थित- परवेज अख्तर (एच.जे.एस.)

विशेष वाद संख्या-741/2018

कम्प्यूटर नं.-7000836/2018

सरकार बनाम मंगला प्रसाद यादव

मुकदमा अपराध संख्या-176/2017

धारा-136 भारतीय विद्युत अधिनियम(संशोधन)2003

थाना-कौंधियारा जिला-प्रयागराज।

बयान मुलजिम

अभियुक्त मंगला प्रसाद यादव पुत्र रामआसरे निवासी सोढ़िया, थाना कौंधियारा, जनपद प्रयागराज ने बयान किया कि-

प्रश्न-1 यह कि दिनांक-24.05.2017 को समय अदम तहरीर बहदस्थान भिन्न-भिन्न थाना कौंधियारा जिला प्रयागराज, आप द्वारा श्री विष्णु कांत शुक्ला ग्राम पीड़ी को मु0-58000/-रुपये देकर, चार पोल व एक 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर अवैध रूप से अवैध लाइनों का निर्माण करके लगवाया गया है। इस सम्बन्ध में आप जुर्म स्वीकार करते हैं।

उत्तर- हा। जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र भी मैं प्रस्तुत कर दिया हूं।

प्रश्न-2 क्या और कुछ कहना है?

उत्तर- हां मैं अत्यन्त गरीब हूं। मुझे कम से कम सजा दिया जाए।

दिनांक-17.09.2025

(परवेज अख्तर)

जे0ओ0 कोड यू0पी0 6310

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज।

आदेश

अभियुक्त मंगला प्रसाद यादव को मु.अ.सं.-176/2017 धारा-136 विद्युत अधिनियम, थाना कौंधियारा जिला इलाहाबाद/प्रयागराज के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है और अभियुक्त मंगला प्रसाद यादव को धारा-136 भारतीय विद्युत अधिनियम के अपराध में मु.-5000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त एक सप्ताह का कारावास दण्ड भुगतेगा।

दिनांक-17.09.2025

(परवेज अख्तर)

जे0ओ0 कोड यू0पी0 6310

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-02.09.2025

(परवेज अख्तर)

जे0ओ0 कोड यू0पी0 6310

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज।